संख्या-13 /2025/2500/41-2-2024-CN-1694803

प्रेषक,

सर्वेश कुमार सिंह**,**
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0**,** लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-2 **लखनऊ, दिनांक 10 जनवरी, 2025**

विषय:-जनपद सीतापुर स्थित नैमिषारण्य धाम तीर्थ स्थल के समेकित पर्यटन विकास हेतु भूमि/भवन क्रय के संशोधित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक पर्यटन के पत्र सं0-7486/6-1-1/(सीतापुर/भूमि)/2024-25**,** दिनांक 13.12.2024**,** का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. जनपद सीतापुर स्थित नैमिषारण्य धाम तीर्थ स्थल के समेकित पर्यटन विकास हेतु भूमि/भवन क्रय हेतु रू0-49,66,77,400.00 (रूपये उन्चास करोड़ छाछठ लाख सतहत्तर हजार चार सौ मात्र) की संशोधित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अतिरिक्त धनराशि रू0 6,38,80,400.00 (रूपये छः करोड़ अड़तीस लाख अस्सी हजार चार सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. अवगत कराना है कि जनपद सीतापुर में स्थित नैमिषारण्य के समेकित पर्यटन विकास हेतु भू-स्वामियों एवं काश्तकारों से आपसी सहमति के आधार पर 31.3170 हे0 भूमि क्रय हेतु शासनादेश सं0-523/2023/आई/356233/001-41-1002-001-30-2023, दिनांक 26.07.2023 द्वारा रू0 43,27,97,000 (रूपये तैंतालीस करोड़ सत्ताइस लाख सत्तानवे हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 800.00 लाख**,** शासनादेश सं0-698/2023/4695/41-2023/001/C.N.1694803-2023, दिनांक 05.10.2023 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 1500.00 लाख तथा शासनादेश सं0-950/2023/5851/41-2023/001/C.N.1694803-2023, दिनांक 13.12.2023 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 500.00 लाख**,** अर्थात अब तक कुल अवमुक्त धनराशि रू0 2800.00 लाख जिलाधिकारी**,** सीतापुर के निवर्तन पर रखी गयी है**,** जिसमें से अब तक रू0 21,29,90,152.000 की धनराशि व्यय हुई है तथा रू0 6,70,09,848.00 (रूपये छः करोड़ सत्तर लाख नौ हजार आठ सौ अड़तालिस मात्र) अवशेष है।

4. उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद सीतापुर स्थित नैमिषारण्य धाम तीर्थ स्थल के समेकित पर्यटन विकास हेतु भूमि/भवन क्रय हेतु धनराशि रू0-49,66,77,400.00 (रूपये उन्चास करोड़ छाछठ लाख सतहत्तर हजार चार सौ मात्र) की संशोधित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अतिरिक्त धनराशि रू0 6,38,80,400.00 (रूपये छः करोड़ अड़तीस लाख अस्सी हजार चार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सौ मात्र) को व्यय किये जाने हेतु जिलाधिकारी, सीतापुर के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या:-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक-04.03.2024 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद/प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। विभिन्न मदों में स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा।

(2) प्रस्तर-3 में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। अत: जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से मदवार व्यय विवरण शासन को उपलब्ध कराते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही व्यय सुनिश्चित किया जाय।

(3) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि में से नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु आवश्यक धनराशि को कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(5) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय सुनिश्चित करने के पूर्व महालेखाकार एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा के रिपोर्टों/प्रतिवेदनों/आपत्तियों को अनिवार्य रूप से दृष्टिगत रखते हुए उनका समाधान करने के पश्चात ही नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(8) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत प्रायोजना हेतु चिन्हित भूमि प्रतिकर निर्गत किये जाने की दृष्टिगत से नगरी क्षेत्र अथवा ग्रामीण क्षेत्र में भूमि की प्रास्थिति के अनुसार ही देय प्रतिकर की वास्तविक गणना के सम्बन्ध में पर्यटन निदेशालय/सम्बन्धित अधिकारी स्वंय संतुष्ट होना सुनिश्चित करेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(10) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भूमि की लागत को सम्मिलित करते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

(11) प्रश्नगत प्रायोजना के सम्बन्ध में भूमि गाटा संख्या/खातेदार की स्पष्ट स्थिति तथा भूमि की प्रकृतिके सम्बन्ध में जिलाधिकारी, सीतापुर से विस्तृत रिपोर्ट तैयार करा कर तदनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) प्रायोजना हेतु यदि नयी भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तो इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, सीतापुर/जिलाभूमि अध्याप्ति अधिकारी के माध्यम से अधिग्रहण के सम्बन्ध में राजस्व विभाग के संगत शासनादेश की व्यवस्था अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।

5. प्रश्नगत कार्य के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेश सं0-523/2023/आई/356533/001/14-1002-001-30-2023, दिनांक 26.07.2023 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा/पढ़ा जाय।

6. इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 6,38,80,400.00 (रूपये छः करोड़ अड़तीस लाख अस्सी हजार चार सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 044 लेखा शीर्षक 5452801044500 विभिन्न पर्यटन स्थलों हेतु भूमि का क्रय मानक मद 60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

7. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-7-214/दस-2024-25, दिनांक 01-01-2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नंलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्य क कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
3. आयुक्त, लखनऊ मण्डल।
4. जिलाधिकारी, सीतापुर।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, सीतापुर।
6. सम्बन्धित उप निबन्धक, सम्बन्धित तहसील/जनपद।
7. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उ0 प्र0, लखनऊ।
8. उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रा0खं0 लो0नि0वि0, सीतापुर।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/2, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
12. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in